






# Chaudhary Charan Singh University, Meerut

## PROVISIONAL ADMIT CARD (December-2016)

Your 'FEE IS DUE/SHORT'. You 'MUST PAY THE DUE FEE' to be eligible for appearing in examination.

Name of the Candidate : SURENDRA SINGH		Father's Name : DEVI SINGH CHAUHAN	
Roll No. : 6075653	Class : LL.B 3 Year-YEAR-2-SEM-3		
Enroll. No. : M14110726	Type : Post Graduate (PG) Back FEE IS DUE/SHORT		
Category : General (Unreserved)	Gender : MALE		
College Studying : [607] RELIABLE INSTITUTE OF LAW MORTA, DELHI-MEERUT ROAD, GHAZIABAD			
Examination Centre : [062] M.M. DEGREE COLLEGE, MODINAGAR, GHAZIABAD			
Subjects: Law	 (Controller of Examinations)		
		  Form # 43862	

Subject	Paper
Law	Paper-2 : K-3002 Public International Law

**Note:** Students should bring this Admit Card for appearing in examination. Students failing to bring this Admit Card shall not be allowed to appear in the examination. **This Admit Card is provisional.** If 'FEE IS DUE', the candidate must pay the due fee to be eligible for appearing in examination. The result shall be declared subject to eligibility of the candidate.

### परीक्षार्थी के लिये आवश्यक निर्देश

- उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक निम्नवत लिखें -  
अनुक्रमांक - 

6	0	7	5	6	5	3
---	---	---	---	---	---	---
- यदि परीक्षार्थी की फोटो अस्पष्ट / बूटियक है, तो यह Admit Card किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी को केंद्र के केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों के निर्देशों का सर्वथा अनुपालन करना होगा।
- उत्तर पुस्तिका पर आवरण पृष्ठ के निर्धारित कालम पर वांछित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या अन्य चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा।
- परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथ में सौंपे बिना परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जा सकेगा।
- परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की पाठ्य पुस्तक / सहायक पुस्तक / मोबाइल / कैलकुलेटर इत्यादि ले जाना वर्जित है। ऐसा पाए जाने पर केन्द्राध्यक्ष को परीक्षार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे, परीक्षा बहिष्कार करने के कारण छूटी हुई परीक्षा को पुनः संपन्न कराने का विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।